झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–883 वर्ष 2017

राम ईश्वर सिंह, पे0 स्वर्गीय शिव पुजन सिंह, निवासी–माडा कॉलोनी, क्वार्टर नं0 सी/31 के नजदीक, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संक्षेप में झामाडा) अपने प्रबंध निदेशक, के माध्यम से जिनका कार्यालय झामाडा भवन, धनबाद में है।

2. लेखा अधिकारी, झामाडा, झामाडा भवन, धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– मेसर्स भवेश कुमार और रवि कुमार

2/दिनांकः14 फरवरी, 2017

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याची, जिन्हें प्रतिवादी खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गोविंदपुर सर्किल, धनबाद के तहत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति की गई थी, वह खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद की सेवाओं से 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हुए। याची की यह शिकायत है कि सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये और अन्य लाभों के साथ–साथ सांविधिक ब्याज का अभी

तक उसे भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि, उसने अनुलग्नक–2 द्वारा माडा के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दिया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय समक्ष आए हैं।

दूसरी ओर, उत्तरदाता–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद के कुछ बकाये और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 विधि के अनुसार इस पर विचार करेगा और याचिकाकर्ता के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करे, उसके बाद, जिसे याचिकाकर्ता को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वे सेवानिवृत्ति के बाद की बकाया राशि और वैधानिक हित के साथ अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से

स्वीकार्य बकाया राशि को पाने का हकदार हैं, तो प्रतिवादी एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार भी इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)